कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक फा. 8(45)सविरा/ऑडिट/एम्पैनलमेन्ट/2018–21 दिनांक 5/10/2018

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा–संशोधित धारा–54 की उपधारा–(4) के तहत सहकारी सोसायटियों के सांविधिक (statutory) लेखा परीक्षण हेतु वर्ष 2018–21 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2021 तक) के लिए लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मो का पैनल तैयार कर विभागीय वेबसाईट www.rajcooperatives.nic.in पर प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचित पैनल में अतिरिक्त लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मो के नाम जोडे जाने है। पैनल में पंजीयन हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54 की उपधारा–(5) (क) (i) तथा (5) (ख) में यथा–परिभाषित ऐसे लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म पात्र है, जो चार्टेर्ड एकाउटेन्ट अधिनियम, 1949 में यथा–परिभाषित चार्टर्ड एकाउटेन्ट या चार्टेर्ड एकाउटेन्ट फर्म हो और उन्हें अर्हता पश्चात् लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

अतः उक्तानुसार योग्यताधारी एवं इच्छुक लेखा परीक्षक एवं लेखापरीक्षा फर्मो से दिनांक 30.10.2018 को सांय 6:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह मार्ग, बाईस गोदाम सर्कल,जयपुर–302005(दूरभाष नः–0141–2740710)** को प्रेषित कर सकेंगे। ऐसे चार्टर्ड एकाउटेन्ट एवं लेखापरीक्षा फर्म दिनांक 31.03.2021 तक पंजीकृत एवं सूचीबद्ध रहेगें। दिनांक 5/04/2018 को अधिसूचित पैनल में पंजीकृत लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म इस विज्ञप्ति के संदर्भ में आवेदन ना करें। दिनांक 5/04/2018 को पंजीकृत लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म पूर्वानुसार 31/03/2021 तक पंजीकृत रहेंगे।

आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं के प्रमाणक, पंजीकरण–शुल्क का विवरण, पंजीयन हेतु नियम व शर्ते, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा–संशोधित धारा–54 के प्रावधान तथा अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट {http://www.rajcooperatives.nic.in} पर उपलब्ध है।

(नीरज के. पवन)
रजिस्ट्रार

कार्यालय रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ, राजस्थान
जयपुर

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा–संशोधित धारा–54(4) के तहत तैयार किये जाने वाले पैनल में चार्टर्ड अकाउण्टेंन्ट्स तथा लेखा परीक्षा फर्मों के नाम पंजीकृत कराने हेतु आवेदन–पत्र

1(अ). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का नाम (हिन्दी में)

1(ब). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का नाम (अंग्रेजी में)

2. चार्टर्ड अकाउण्टेंट या लेखा परीक्षा फर्म को भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा प्रदत्त नवीनतम पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :–

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन दिनांक | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

(नोट पैनल में पंजीयन हेतु भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेट संस्थान में चार्टर्ड अकाउण्टेट या लेखापरीक्षा फर्म का पंजीयन दिनांक 30.10.2015 से पूर्व का होना अनिवार्य है।)

3(अ). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का पता (हिन्दी में)

पिन कोड

3(ब). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का पता (अंग्रेजी में)

पिन कोड

3(स). दूरभाष नम्बर (मय कोड) आफिस

3(द). दूरभाष नम्बर (मय कोड) आफिस